महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्याः– 198/एक–11–2020–रा0–11

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.प्रमुख सचिव
नगर विकास/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/श्रम/खाद्य एवं रसद/समाज कल्याण/महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः:दिनॉकः 24, मार्च, 2020

विषयः–विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी covid–19के परिप्रेक्ष्य में सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी covid–19के परिपेक्ष में विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, जिससे दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों आदि के सामने भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है।

2. ऐसे दैनिक वेतन भोगियों तथा मजदूरों आदि को भरण पोषण हेतु सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मंत्री समिति का गठन किया गया।

3. मंत्री समिति की संस्तुतियोंतथा तत्क्रम में अपर मुंख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–बी–2–67/दस–2020–एम–01/2020 दिनांक 21.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार दैनिक रूप से काम करने वाले प्रभावित मजदूरों आदि के भरण–पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। समिति की संस्तुतियों मे से कमांक2 से 7पर अंकितप्राविधानव उसके कियान्वयन की प्रकिया निम्नवत होगीः–

संस्तुति कमांक–2–श्रम विभाग से सम्बन्धित–प्रदेश के श्रम विभाग में 20.37 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। श्रम विभाग उक्त पंजीकृत श्रमिकों में से 5.97 लाख श्रमिकों जिनके, बैंक खाते विभाग के पास उपलब्ध हैं, के खाते में 1000 रूपये प्रतिमाह डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तान्तरित करेंगे। अवशेष श्रमिकों के बैंक खाता का डेटाबेस श्रम विभाग तत्काल तैयार कर इन अवशेष श्रमिकों को भी 1000 रूपये की सहायता उपलब्ध करायी जाये। इस पर लगभग 203 करोड़ रूपये के व्यय भार की सम्भावना है जिसका वित्त पोषण श्रम विभाग द्वारा 'Labour Cess Fund'से किया जायेगा।

संस्तुति कमांक–7–समाज कल्याण विभाग एवं महिला कल्याण विभाग से सम्बन्धित–प्रदेश में लागू विभिन्न पेंशन योजनाओं वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन संशक्तीकरण पेंशन तथा निराश्रित विधवा के भरण पोषण हेतु पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत सम्बन्धित लाभार्थियों को दो माह का अग्रिम पेंशन माह अप्रैल में दिये जाने पर विचार किया जाये।

उक्त संस्तुति के कम में संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

4. कमांक2 से 7 पर अंकित संस्तुतियों के अनुसार सहायता देने के बाद भी ऐसे व्यक्ति बच सकते हैं जिनके पास अपने परिवार के भरण–पोषण की सुविधा नहीं है। इस संबंध में–

–ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खण्ड विकास अधिकारी तथा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी की समिति ऐसे व्यक्तियों की परिस्थितियों की जांच कर सहायता हेतु अपनी संस्तुति ग्राम्य विकास अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 425/38–7–2020 दिनांक 23.03.2020 के अनुसार जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

–शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगर मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी एवं संबंधित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की समिति इस प्रकार की संस्तुति नगर विकास अनुभाग–9 के शासनादेश संख्या –698/नौ–9–2020–58 ज/20 दिनांक 21.03.2020 के अनुसार जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

जिलाधिकारी द्वारा ऐसे पात्र पाये गये सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को रूपये 1000 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

5. पत्र के प्रस्तर–3 में उल्लिखित संस्तुति कमांक 2 के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि का वित्त पोषण श्रम विभाग द्वारा'Labour Cess Fund'से किया जायेगा।

6. पत्र के प्रस्तर–3 में उल्लिखित संस्तुति कमांक 3 एवं6तथा प्रस्तर–4 में उल्लिखित व्यक्तियों के सम्बन्ध में वितरित की जाने वाली सहायता धनराशि राजस्व विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को अग्रिम धनराशि आवंटित की जा रही है,जो जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसारचिन्हित किये गये लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रयोग की जायेगी, जिसका वितरण निम्न प्रकार से किया जायेगा:–

I. निशुल्क राशन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग के शासनादेश सं0–616/29–6–2020–345सा/12टीसी दिनांक 24 मार्च, 2020के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा उचित दर विक्रेताओं के बैंक खातों में अंतरित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग के उक्त शासनादेश के प्रस्तर–6 में उल्लिखित है कि खाद्य आयुक्त द्वारा समस्त जनपदों से प्राप्त धनराशि की मांग संकलित कर राजस्व विभाग से धनराशि का आवंटन कराया जायेगा। चूंकि आपात स्थिति के दृष्टिगत राजस्व विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को अग्रिम धनराशि आवंटित की जा रही है अतः इस सम्बन्ध में जनपदों के सम्बन्धित जिला आपूर्ति अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत धनराशि की मांग को जिलाधिकारी अपने स्तर पर परीक्षण एवं अनुमोदित करते हुए उचित दर विक्रताओं के बैंक खातों में धनराशि अंतरित करेंगे।

होगी।यह भी सुनिश्चित किया जाये कि लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता DBT (Direct Benefit Transfer)के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाये। जहां पर पात्र लाभार्थी का बैंक खाता नहीं है वहां प्राथमिकता पर बैंक खाता खुलवा कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में विभागों से संबंधित अनुश्रवण का कार्य संबंधित विभाग द्वारा तथा जिला स्तर पर अनुश्रवण का कार्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

स्पष्ट किया जाता है कि मा0 समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों के क्रम में सहायता हेतु यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पात्रता रखता है तो उसे प्रत्येक श्रेणी में सहायता अनुमन्य होगी।

जनपदों को आवंटित की जा रही अग्रिम धनराशि का आवंटनअनुदान सं0–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड–800 अन्य व्यय–06 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–09 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय मद में किया जा रहा है, जिसके लिए पृथक से शासनादेश जारी किया जायेगा।

उपरोक्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में 31.03.2020 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

24/3/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनॉक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. राजस्व अनुभाग–10/11 तथा गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।

सं० — 198/1-11-2020

संख्याः बी—2—67/दस—2020—एम—01/2020

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग/दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2. प्रमुख सचिव
नगर विकास/ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज/श्रम/खाद्य एवं रसद/समाज कल्याण/महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग—2 लखनऊः 21 मार्च, 2020

विषयः विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड—19 के परिप्रेक्ष्य में सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

संख्या 1716 ए.डी.एस.आर./2020

वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड—19 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं जिससे दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों आदि के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना है।

2— ऐसे दैनिक वेतनभोगियों तथा मजदूरों आदि को भरण पोषण हेतु सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मा0 वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मंत्री—समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2020 को अपनी रिपोर्ट मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की गयी जिसकी **प्रति संलग्न** है। समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:—

V8 (MS)

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं बेसिक शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन।

"समिति की संस्तुतियों में से कमांक 1 को छोड़कर शेष को अनुमोदित किया जाता है।

कमांक 2 से 7 पर अंकित संस्तुतियों के अनुसार सहायता देने के बाद भी ऐसे व्यक्ति बच सकते हैं, जिनके पास अपने परिवार के भरण—पोषण की सुविधा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी की समिति ऐसे व्यक्तियों की परिस्थितियों की जांच

23/3/20

कर सहायता हेतु अपनी संस्तुति जिला अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की समिति इस प्रकार की संस्तुति जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएगी। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे पात्र पाए गए सभी जरूरत मन्द व्यक्तियों को 1000 रूपये प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

समिति की अनुमोदित संस्तुतियों व उपर्यक्तानुसार दी जाने वाली सहायता से सम्बन्धित प्रकियाओं के शासनादेश तत्काल जारी कराए जाएं तथा समुचित वित्तीय व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाए।''

3— राज्य सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन के सभी सम्बन्धित विभाग विस्तृत शासनादेश जारी करने की कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 24 मार्च, 2020 तक सुनिश्चित करेंगे।

4— उपरोक्त निर्णय के अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन को नोडल विभाग नामित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता धनराशि राजस्व विभाग के बजट से जिलाधिकारियों के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला स्तर पर अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5— इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही की निरन्तर समीक्षा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर की जायेगी।

भवदीय,

संलग्नकः यथोपरि

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः संख्याः— बी—2—67/दस—2020—एम—01/2020 तद्दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(विवेक त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

कोविड–19 के संबंध में
राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में
प्रदेश में दैनिक रूप से काम करने वाले प्रभावित
मजदूरों आदि
के
भरण पोषण के लिये सहायता
हेतु
मा0 वित्त मंत्री जी
की
अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट

प्रस्तावना

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड–19 को विश्वव्यापी महामारी घोषित किा गया है जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निर्णय लिये गये हैं, जिनमें शैक्षिक संस्थानों, सिनेमा हालों, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल आदि को बन्द करना शामिल है। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय से दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों तथा समाज के ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णतया इन व्यवसायिक गतिविधियों पर निर्भर होते हैं, के सामने भरण पोषण की बड़ी समस्या है। ऐसे दैनिक वेतनभोगी जैसे रिक्शेवाले, मजदूरों आदि को भरण पोषण हेतु सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2020 को तीन सदस्यीय समिति का गठन निम्नवत् किया गयाः–

1. मा0 वित्त मंत्री जी — अध्यक्ष
2. मा0 कृषि मंत्री जी — सदस्य
3. मा0 श्रम मंत्री जी — सदस्य

अपर मुख्य सचिव, वित्त को समिति का सचिव नियुक्त किया गया। समिति के गठन का आदेश **संलग्नक–1** पर दृष्टव्य है। समिति से अपेक्षा की गयी है कि विषय की तात्कालिता के दृष्टिगत तीन दिन में अपनी स्पष्ट आख्या एवं एक सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

समिति की बैठकें

2– समिति द्वारा अपनी कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करते हुये दिनांक 18 मार्च, 2020 के 12:30 बजे अपराह्न में प्रथम बैठक तथा दिनांक 18 मार्च, 2020 को ही 05:45 बजे सांय द्वितीय बैठक आयोजित की गयी। समिति की तृतीय व अन्तिम बैठक दिनांक 19 मार्च, 2020 को 06:00 बजे सांय आयोजित की गयी।

समिति के समक्ष चुनौतियां एवं सुझाव

3– समिति के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि कोविड–19 के कारण विभिन्न क्षेत्रों में दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों एवं अन्य प्रभावित जरूरतमंद श्रमिकों जिनको सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी, उनका चिन्हांकन किस प्रकार किया जायेगा ? इस सम्बन्ध में समिति के समक्ष विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार के विचार रखे गये।

4— खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश जरूरतमंद परिवार के पास राशन कार्ड उपलब्ध हैं जिसके आधार पर इन्हें चिन्हित किया जा सकता है।

श्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि असंगठित क्षेत्र में कुल 20.37 लाख श्रमिकों की सूची विभाग के पास उपलब्ध हैं, जिसमें से 5.97 लाख लोगों के बैंक एकाउण्ट भी खुले हुये हैं।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मनरेगा के अन्तर्गत लगभग 88 लाख जाब कार्ड धारक प्रदेश में हैं जिनका बैंक खाता विवरण विभाग के पास उपलब्ध है।

5— समिति के समक्ष यह विचार भी लाया गया कि ऐसे स्ट्रीट वेण्डर, रिक्शा चालक, साप्ताहिक बाजार लगाने वाले घुमन्तू प्रकृति के श्रमिक भी हैं जिनके सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं है कि यह श्रम विभाग में पंजीकृत हैं अथवा नहीं। यह भी ज्ञात नहीं है कि इनके पास राशन कार्ड या मनरेगा का जाब कार्ड उपलब्ध है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इनको निम्न सात वर्गों में विभाजित कर चिन्हित किये जाने की कार्यवाही प्रत्येक जनपद में की जा सकती है:—

1. पटरी दुकानदार।
2. रिक्शा चालक, किराये पर रिक्शा चलाने वाले, ट्राली चालक आदि।
3. नगरों में लगने वाली श्रम मण्डी जहां घुमन्तू प्रकृति का कार्य करने वाले कर्मी रोज आते हैं।
4. टैम्पो, आटो, रिक्शा आदि चलाने वाले चालकों की संख्या।
5. फल मण्डी, सब्जी मण्डी आदि में पल्लेदार, ठेलावाले बड़ी संख्या में कार्य करते हैं।
6. साप्ताहिक बाजार लगाने वाले दुकानदार एवं कार्यरत मजदूर।
7. शहरों में एक्का, तांगा चलाने वाले।

ऐसे सभी श्रमिकों का कोई स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है परन्तु प्रदेश में ऐसे लगभग 15.60 लाख व्यक्तियों के होने का अनुमान है।

6— समिति के समक्ष यह सुझाव भी रखा गया कि मॉल, दुकानों, उद्योग, कारखाने, छोटे दुकान, ढाबा आदि में कार्यरत् असंगठित क्षेत्र के कार्मिक जो दिहाड़ी पर कार्य करते हैं, इनके बन्द होने की स्थिति में इनका वेतन आदि सम्बन्धित स्वामियों द्वारा न रोका जाय।

7— समिति द्वारा इस बिन्दु पर भी विचार किया गया कि जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करायी जाय अथवा डी.बी.टी. के माध्यम से एक निश्चित धनराशि हस्तान्तरित की जाय।

खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अन्त्योदय एवं गृहस्थ पात्र सभी राशन कार्ड धारक को निःशुल्क राशन का वितरण किया जा सकता है। समिति के समक्ष यह सुझाव भी रखा गया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन की दुकान से खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। इस हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त, कोटेदार को उपलब्ध करायेंगे तथा प्रत्येक राशन की दुकान पर इसका व्यवस्थित वितरण भी सुनिश्चित करेंगे।

8— समिति के समक्ष यह सुझाव भी रखा गया कि सर्वप्रथम सबसे अधिक जरूरतमंद वर्ग को ही लाभ दिया जाना चाहिये। इस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर इनका चिन्हांकन कर इनको सहायता उपलब्ध कराये जाने पर सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

समिति की संस्तुतियां

समिति द्वारा बैठक में उठाये सभी सुझावों पर गहन विचार–विमर्श किया गया जिसके उपरान्त प्रदेश में जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न संस्तुतियां की जाती है:–

1. प्रदेश की 58,906 ग्राम पंचायतों में आर्थिक रूप से विपन्न एवं जरूरतमंद परिवार को चिन्हित करते हुये 1,000 रूपये प्रति माह की सहायता उपलब्ध करायी जाय। पारदर्शिता की दृष्टि से ऐसे परिवारों का चयन खण्ड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया जायेगा। सहायता की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(कार्यवाहीः पंचायती राज विभाग)

2. प्रदेश के श्रम विभाग विभाग में 20.37 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं जिनमें 5.97 लाख श्रमिकों के बैंक खाते विभाग के पास उपलब्ध हैं। श्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग में 'Labour Cess Fund' सृजित है जिससे इन पंजीकृत श्रमिकों को धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है। बैठक में निर्णीत हुआ कि श्रम विभाग 5.97 लाख श्रमिकों के बैंक खाते में 1000 रूपये प्रतिमाह डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तान्तरित करेंगे। अवशेष श्रमिक का बैंक खाता का डेटाबेस श्रम विभाग तत्काल तैयार कर इन अवशेष श्रमिकों को भी 1000 रूपये की सहायता उपलब्ध करायी जाय। इस पर लगभग 203 करोड़ रूपये के व्यय भार की सम्भावना है जिसका वित्त पोषण श्रम विभाग द्वारा 'Labour Cess Fund' से किया जायेगा।

(कार्यवाहीः श्रम विभाग)

3. शहर में घुमन्तू प्रकृति जैसे ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि का कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी अनुमानित संख्या प्रदेश में लगभग 15 लाख है, का बैंक खाता विवरण सहित डेटाबेस नगर विकास विभाग द्वारा तैयार किया जाय। इस हेतु प्रत्येक जिले में ए.डी.एम. स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाय तथा यह कार्य 15 दिन के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय।

ऐसे सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के उपरान्त इनके खाते में भी प्रतिमाह 1,000 की धनराशि हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जाय जिसपर लगभग 150 करोड़ रूपये का व्यय भार अनुमानित है। शहरी क्षेत्र के ऐसे दिहाड़ी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, उनका राशन कार्ड इनके निवास के पते पर प्राथमिकता के आधार पर बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं डी.एस.ओ. के माध्यम से खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाहीः नगर विकास, खाद्य एवं रसद, समस्त जिलाधिकारी)

4. कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थान, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल आदि को अग्रिम आदेशों तक बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिससे इन संस्थानों आदि में कार्यरत श्रमिकों/कार्मिकों के समक्ष भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी बन्द शैक्षिक संस्थान, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल, दुकान आदि के स्वामियों को निर्देशित किया जाये कि प्रभावित श्रमिकों/कार्मिकों को उनके नियोजकों द्वारा प्रतिष्ठान की बन्दी अवधि में 'Paid Leave' प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा शासनादेश/अधिसूचना जारी किया जाय।

(कार्यवाहीः श्रम विभाग)

5. मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश में किये जा चुके कार्य के सन्दर्भ में भारत सरकार से लगभग 556 करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त न होने के कारण मनरेगा जाब कार्ड धारकों को भुगतान नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग, भारत सरकार से सम्पर्क कर धनराशि प्राप्त कर जाब कार्ड धारकों को भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर माह मार्च, 2020 में करायें।

(कार्यवाहीः ग्राम्य विकास विभाग)

6. प्रदेश में अन्त्योदय योजना, मनरेगा, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूर की स्थिति निम्नवत् हैः–

		संख्या (लाख)
1.	अन्त्योदय ग्रामीण क्षेत्र	37.51
2.	अन्त्योदय शहरी क्षेत्र	3.43
3.	मनरेगा जाब कार्ड धारक	88.40
4.	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	20.37
5.	दिहाड़ी मजदूर (अनुमानित)	15.60
	योग	165.31

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रतिकार्ड 85 रूपये पर 34.80 करोड़ रूपये तथा मनरेगा, निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूर को प्रति कार्ड 48 रूपये पर कुल 59.70 करोड़ रूपये का व्यय भार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर आयेगा। इस प्रकार कुल 94.50 करोड़ रूपये का व्यय भार अनुमानित है।

समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि प्रदेश के सभी लगभग 1.65 करोड़ जरूरतमंदों को एक माह का निःशुल्क राशन माह अप्रैल में उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी तैयारियां विभागीय स्तर पर पूर्ण कर ली जायें। भविष्य में स्थिति का आंकलन करने के उपरान्त इस बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा।

(कार्यवाहीः खाद्य एवं रसद विभाग, समस्त जिलाधिकारी/नगर आयुक्त)

7. प्रदेश में लागू विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत निम्नानुसार लाभार्थियों को देय पेंशन का वितरण त्रैमासिक रूप में किया जाता हैः–

क0	योजना	लाभार्थी संख्या (लाख)
1.	वृद्धावस्था पेंशन	46.97
2.	दिव्यांगजन संशक्तीकरण पेंशन	10.76
3.	निराश्रित विधवा के भरण पोषण हेतु	26.10
	योग	83.83

उक्त पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत सम्बन्धित लाभार्थियों को दो माह का अग्रिम पेंशन माह अप्रैल में दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(कार्यवाहीः समस्त सम्बन्धित विभाग)

8. समिति यह भी संस्तुति करती है कि उपर उल्लिखित संस्तुति संख्या–2 के अतिरिक्त अन्य सभी कार्ययोजना के लिये राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया जाय। राजस्व विभाग की ग्रान्ट से जिलाधिकारियों के माध्यम से समस्त जरूरतमंद श्रमिक आदि को सहायता हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(स्वामी प्रसाद मौर्य)
श्रम मंत्री
सदस्य

(सूर्य प्रताप शाही)
कृषि मंत्री
सदस्य

(सुरेश कुमार खन्ना)
वित्त मंत्री
अध्यक्ष

संलग्नक–1

115/MS/CM/2020

संख्या- ओ- 154 /सी०एम०-I/2020

योगी आदित्यनाथ

मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश

लोक भवन,
लखनऊ - 226001

दिनांक : 17-03-2020

ICS, वित्त /

7/03/20
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निर्णय लिए गए हैं, जिनमें शैक्षिक संस्थानों, सिनेमा होंलों, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल आदि को बन्द करना आदि शामिल हैं।

राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों तथा समाज के ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णतया इन व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्भर होते हैं, के सामने भरण पोषण का संकट उत्पन्न होने की सम्भावना है। ऐसे दैनिक वेतनभोगी जैसे रिक्शेवाले, मजदूरों आदि को भरण पोषण हेतु सहायता उपलबध कराने पर विचार करने के सम्बन्ध में निम्न समिति गठित की जाती है:-

1-	मा0 वित्त मंत्री जी	अध्यक्ष
2-	मा0 कृषि मंत्री जी	सदस्य
3-	मा0 श्रम मंत्री जी	सदस्य

अपर मुख्य सचिव, वित्त इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

समिति से अपेक्षा है कि विषय की तात्कालिकता के दृष्टिगत तीन दिन में अपनी सुस्पष्ट आख्या व एक सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

17-03-2020
(योगी आदित्यनाथ)
मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश।

<u>मुख्य सचिव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- मा0 वित्त मंत्री जी।
2- मा0 कृषि मंत्री जी।
3- मा0 श्रम मंत्री जी।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त।

17-03-2020

सं० – 197/1-11-2020

समयबद्ध
सर्वोच्च प्राथमिकता/ई–मेल
संख्या–698/नौ–9–2020–58ज/20

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2020

विषय–प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में दैनिक रूप मे कार्य कर जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के विषय में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि COVID-19 के सम्भावित संक्रमण को रोके जाने एवं इसके प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव से बचाव हेतु सुरक्षित उपायो को सुनिश्चित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संदर्भ में नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्रान्तर्गत दैनिक कार्य कर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के विषय में सूचनाओं का संकलन किया जाना आवश्यक है, जिससे ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में सुविधाजनक ढंग से रोजगार एवं सहायता उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा सके। इस हेतु शासन के पूर्व पत्र सं0–1509/पी0एस0एच0 (एन0वी0)/2020, दिनांक–18.03.2020 के माध्यम से प्रारूप का निर्धारण कर ऐसे व्यक्तियों की संख्या का आंकलन कराया गया है। ऐसे पंजीकृत/अपंजीकृत व्यक्तियों के विषय में संलग्न प्रारूप पर सूचनाओं की आवश्यकता है।

2. पंजीकृत अथवा अपंजीकृत व्यक्ति निम्नलिखित श्रेणी/वर्गों के हो सकते है:–
   (1) पटरी दुकानदार/वेन्डर्स।
   (2) रिक्शा/इक्का, तांगा चालक।
   (3) टैम्पो/आटो/ई–रिक्शा चालक।
   (4) दैनिक दिहाड़ी मजदूर/मण्डियों में पल्लेदारी करने वाले/ठेलिया चलाने वाले।
   (5) अन्य दैनिक कार्य करने वाले व्यक्ति।

23/3/20

3. उक्त पंजीकृत अथवा अपंजीकृत व्यक्तियों में वह व्यक्ति आच्छादित किये जायेंगे जो श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं है तथा मनरेगा कार्ड धारक नहीं है।

4. उक्त प्रस्तर–02 में उल्लिखित श्रेणी/वर्गों के संबंध में संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध उक्तानुसार वांछित संकलित सूचनायें ऑनलाइन फीड कराने के लिये प्रत्येक नगर निगम में नामित नोडल अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी उत्तरदायी होंगे। जिलाधिकारी इन सूचनाओं को ऑनलाइन फीड कराने हेतु अपर जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तथा तहसील स्तर पर एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेंगे। नगर निगम तथा तहसील स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सूचनाओं के संकलन एवं ऑनलाइन फीडिंग में COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में समय–समय पर निर्गत समस्त निर्दिष्ट सावधानियों तथा SOPs का

अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोडल अधिकारीगण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सूचनाओं के संकलन एवं ऑनलाइन फीडिंग में कोई लक्षित व्यक्ति छूटने न पाये। इस प्रकार अपलोड की गयी सूचनाओं के लिए नगर निगम स्तर से नगर आयुक्त एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. उपर्युक्त प्रस्तर–2 में अंकित श्रेणी के लिए नगरीय स्थानीय निकायों में पंजीकृत/सत्यापित पटरी दुकानदारों/वेन्डर्स की उपलब्ध सूची, रिक्शा चालक/इक्का, तांगा चालक की नगरीय स्थानीय निकायो में उपलब्ध पंजीकृत सूची का प्रयोग किया जा सकता है। टैम्पो/आटो/ई–रिक्शा चालकों की क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उपलब्ध पंजीकृत सूची का प्रयोग किया जा सकता है। दैनिक दिहाड़ी मजदूरों के लिए लेबर अडडों पर एकत्र होने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क कर सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दैनिक रूप से जीवन यापन करने वाले अन्य व्यक्तियों के पंजीकृत संगठनों से भी सम्पर्क कर वांछित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है किन्तु यह सुनिश्चित किया जाये कि सूचनाएं सत्यापित हों एवं उनमें त्रुटि की सम्भावना न हों।

6. उपर्युक्त वांछित सूचनाएं अपलोड करने के लिए निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल अतिशीघ्र विकसित कर ऑनलाइन पोर्टल का यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड अतिशीघ्र समस्त जनपदों के जिलाधिकारीगण को उपलब्ध कराया जायेगा जो नोडल अधिकारीगण को पासवर्ड उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में आगामी 15 दिनों में पूर्ण की जानी है, अतः सूचनाओं का संकलन प्रत्येक दिन के आधार पर करते हुये उपरोक्तानुसार पूर्ण एवं संकलित सूचनायें शासन को 15 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर वांछित संकलित एवं पूर्ण सूचनाएं प्रत्येक दशा में शासन को आगामी 15 दिनों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी/निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी/निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री जी।
4. कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

GO-s

स्थानीय निकाय क्षेत्र में दैनिक जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के विषय में सूचना अपलोड करने हेतु प्रपत्र।

(नोटः उक्त प्रपत्र ऐसे व्यक्तियों के विषय में भरा जायेगा जो श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं हैं तथा मनरेगा कार्ड धारक नहीं हैं)

1 नाम :

2. पिता/पति का नाम
मो0

3 उम्रः

4. नं0:

5 आधार संख्याः

6. राशन कार्ड संख्या

7	जीवन यापन हेतु किये जाने वाले दैनिक व्यवसाय कि प्रकृति को चुने (√)	क्र. सं0	व्यवसाय की प्रकृति	पंजीकृत	अपंजीकृत	उक्त दैनिक व्यवसाय निकाय क्षेत्र में कब से किया जा रहा है।	
						वर्ष	माह
		1	पटरी दुकानदान/वेन्डर				
		2.	रिक्शा/इक्का/तांगा चालक				
		3.	टैम्पों /आटो / ई–रिक्शा चालक				
		4	दैनिक दिहाडी मजदूर मे पल्लेदारी करने वाले/ ठेलिया चलाने वाले				
		5.	उक्त क्रमॉक 01 से 04 से इतर अन्य दैनिक व्यवसाय/कार्य यदि हो तो उसकी प्रकृति लिखे				
8.	बैंक खाता संख्याः						
9.	बैंक का नामः						
10	बैंक शाखाः						
11.	IFSC कोड						
12.	वर्तमान पता	1.	वार्ड का नाम				
		2.	मोहल्ला/कालोनी/बस्ती आदि का नाम				
		3.	भवन संख्या (यदि कोई हो)				
13.	यदि वर्तमान पता अस्थायी पता नही है तो स्थायी पता						
	13.A स्थायी पता यदि ग्रामीण क्षेत्र में है।	1.	ग्राम का नाम				
		2.	तहसील				
		3.	जनपद				
	13.B स्थायी पता यदि शहरी क्षेत्र में है।	1.	वार्ड का नाम				
		2.	मोहल्ला/कालोनी/बस्ती आदि का नाम				
		3.	भवन संख्या (यदि कोई हो)				

संख्या–425/38–7–2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

2–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 23 मार्च, 2020

विषयः–कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर गठित मा0 मंत्री समिति द्वारा दिनांक 20.03.2020 की रिपोर्ट में कुल 07 संस्तुतियॉ की गयी हैं। उपरोक्त संस्तुति संख्या 02 से 07 के मध्य विभिन्न श्रेणी के जरूरतमंद विशेष कर मजदूर वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए संस्तुतियॉ की गयी हैं। मा0 समिति की रिपोर्ट जिसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.03.2020 को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है में कतिपय वर्ग के व्यक्तियों को सहायता देने की संस्तुतियॉ (संस्तुति बिन्दु संख्यावार) निम्नवत् हैं :–

संस्तुति बिन्दु संख्या–2.	प्रदेश के श्रम विभाग में 20.37 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
संस्तुति बिन्दु संख्या 3.	शहरों में घुमंतू प्रकृति जैसे–ठेला, खोमचे, साप्ताहिक बाजार आदि का कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी अनुमानित संख्या प्रदेश में लगभग 15 लाख है।
संस्तुति बिन्दु संख्या 5.	मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश में नियमित रूप से कार्य कर रहे परिवार, जिनकी संख्या 88.40 लाख है।
संस्तुति बिन्दु संख्या 6.	प्रदेश में अन्त्योदय योजना के राशनकार्ड धारक, जिनकी संख्या–40.94 लाख है।
संस्तुति बिन्दु संख्या 7.	प्रदेश में लागू विभिन्न पेंशन योजनाओं (वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण पेंशन, निश्रारित विधवाओं के भरण–पोषण हेतु पेंशन) जिनकी कुल संख्या–83.83 लाख है।

2. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–बी–2–67/दस–2020–एम–01/2020, दिनांक 21 मार्च, 2020 में शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है :–

3. उपरोक्त संस्तुति बिन्दु कमांक 02 से 07 पर अंकित संस्तुतियों के अनुसार सहायता देने के बाद भी ऐसे व्यक्ति बच सकते हैं, जिनके पास अपने परिवार के भरण–पोषण की सुविधा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी की समिति ऐसे व्यक्तियों की

Scanned with CamScanner

परिस्थितियों की जॉच कर सहायता हेतु अपनी संस्तुतियां जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगी। शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित निकाय के आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की समिति। इस प्रकार की संस्तुतियॉ जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे पात्र पाये गए सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को एक हजार रूपये प्रति माह की सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।"

4. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से चिन्हित परिवार के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जानी है।"

5. चूँकि मा0 मंत्री समिति की रिपोर्ट की संस्तुति संख्या–06 के अनुसार 165.31 लाख परिवार लाभान्वित होंगे तथा संस्तुति संख्या–07 में 83.83 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इस प्रकार मा मंत्री समिति की संस्तुतियॉ जिसे शासनादेश द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2020 को स्वीकार किया गया है में 249.14 लाख परिवार आच्छादित हैं, परन्तु इसमें कतिपय परिवार सहायता हेतु चिन्हित संस्तुति संख्या–06 व संस्तुति संख्या–07 में ओवरलैप हो सकता है।

6. ऐसे परिवार, जो उपरोक्त श्रेणी में आच्छादित नहीं होते हैं और जिनके पास अपने परिवार के भरण–पोषण की सुविधा नहीं है, उनकी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत चिन्हांकन एवं आंकलन के उपरान्त ही स्पष्ट हो पायेगी, अतः शासन द्वारा लिए गए निर्णय के कम में प्रथम चरण में प्रत्येक जनपद को 20 लाख रूपये की धनराशि इस तरह के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए उपलब्ध रहेगी। तदनुसार सभी 75 जनपदों के लिए 15 करोड़ रूपये की धनराशि इस कार्य पर व्यय करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करने हेतु राजस्व विभाग से अनुरोध किया जा रहा है।

7. **पात्र परिवारों का चिन्हीकरण**– खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से ऐसे परिवारों के सम्बन्ध में सूचनाएं संकलित करायेंगे। सूचना संकलित करने के उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मौके पर जॉच करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चिन्हित परिवार मा0 मंत्री समिति द्वारा की गयी संस्तुति दिनांक 20.03.2020 तथा शासन द्वारा उपरोक्त समिति की संस्तुतियों के विषय में लिए गए निर्णय दिनांक 21 मार्च, 2020 के सहायता प्राप्त करने हेतु किस श्रेणी से आच्छादित नहीं हो रहा है। ऐसे चिन्हित परिवारों की सूची, बैंक खाता संख्या, बैंक आई.एफ.एस.सी. कोड तथा आधार नम्बर के साथ जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिलाधिकारी द्वारा परीक्षण व अनुमोदन के उपरान्त ऐसे परिवारों के खाते में धनराशि जिला स्तर से सीधे लाभार्थियों के खाते में डी0बी0टी के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

Manoj 23.3.20

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with CamScanner

2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।

4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व को इस अनुरोध के साथ कि जनपदों को प्रति जनपद 20 लाख की धनराशि प्रथम चरण में वितरण हेतु उपलब्ध करायें।

5. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।

6. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

23.3.20

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

पत्रांक–616/29–6–2020–345रा/12टीरी

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः 24 मार्च, 2020

विषय–कोविड 19 की समस्या के दृष्टिगत दैनिक रूप से कार्य करने वाले मजदूरों के भरण–पोषण हेतु सहायता के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड–19 के कारण प्रभावित होने वाली विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के कारण दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों के भरण–पोषण की उत्पन्न होने वाली संभावना के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त के पत्र संख्या–बी–67/दस–2020–एम–01/2020, दिनांक 21–3–2020 के माध्यम से निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को एक माह का निःशुल्क राशन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है:–

(1) अन्त्योदय ग्रामीण क्षेत्र।
(2) अन्त्योदय शहरी क्षेत्र।
(3) मनरेगा जॉब कार्ड धारक।
(4) श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
(5) दिहाड़ी मजदूर।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्र के अन्त्योदय श्रेणी के कार्डधारकों जिनकी संख्या लगभग 3.43 लाख है, के राशन कार्ड पूर्व से निर्गत हैं इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र के ऐसे दिहाड़ी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हैं, को राशन कार्ड, उनके निवास के पते पर प्राथमिकता के आधार पर बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कियान्वयन की प्रकिया का निर्धारण करते हुए आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा आदेश संख्या–1621/आ0पू0रा0–राशनकार्ड/2011, दिनांक 19–3–2020 पूर्व से निर्गत है।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रस्तर–1 में उल्लिखित श्रेणी के व्यक्तियों को एक माह का निःशुल्क राशन उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जायः–

1. माह अप्रैल 2020 में प्रदेश के समस्त अन्त्योदय परिवारों को वितरित होने वाला राशन उन्हें 35 कि0ग्रा0 प्रति परिवार की दर से निःशुल्क वितरित किया जायेगा। इन परिवारों द्वारा उचित दर विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि रू0 85 प्रति परिवार की दर से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उचित दर विक्रेता के बैंक खाते में वितरण प्रमाणित होने के उपरान्त अन्तरित की जायेगी।
2. मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक व नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिक, जिनके पास अन्त्योदय श्रेणी के राशन कार्ड हैं, उपरोक्तानुसार बिन्दु–1 से आच्छादित होंगे। इन श्रेणियों के जिन लाभार्थियों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड निर्गत हैं, उनके परिवारों को भी माह अप्रैल, 2020 में 05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट की दर से देय खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा और इन परिवारों द्वारा भी उचित दर विक्रेता को देय धनराशि का भुगतान रू0 12 प्रति यूनिट की दर से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उचित दर विक्रेताओं के बैंक खाते में, वितरण प्रमाणित होने के उपरान्त, अन्तरित किया जायेगा।
3. निःशुल्क वितरण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर विक्रेता के यहाँ नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी और उन्हें सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से सम्बद्ध उक्त श्रेणी के

Scanned with CamScanner

राशन कार्डों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी, श्रम विभाग एवं नगर निकायों से उक्त सूची प्राप्त करेंगे।

4. क्रमांक 02– पर अंकित पात्र गृहस्थी परिवार के दैनिक श्रमिकों द्वारा मनरेगा, श्रम विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रपत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें माह अप्रैल, 2020 का खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। उचित दर विक्रेता के यहाँ जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी इनके द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रपत्र का अवलोकन कर पंजीकरण संख्या रजिस्टर व जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सूची में दर्ज करेगा।
5. नोडल अधिकारी, सम्बन्धित उचित दर विक्रेता द्वारा निःशुल्क वितरित खाद्यान्न की सूची लाभार्थीवार तैयार करेगा तथा उसे सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को अपनी आख्या सहित उपलब्ध करायेगा। उप जिलाधिकारी, उक्त के सम्बन्ध में अपनी आख्या संस्तुति सहित एवं उचित दर विक्रेता के बैंक विवरण सहित, जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। इसके पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं को निःशुल्क वितरित खाद्यान्न के सापेक्ष धनराशि उनके खाते में अन्तरित करायेंगे।
6. निःशुल्क वितरित खाद्यान्न से सम्बन्धित धनराशि की माँग, जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा खाद्यायुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्रदेश की संकलित माँग शासन द्वारा राजस्व विभाग को भेजी जायेगी। राजस्व विभाग से धनराशि प्राप्त होने पर सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी को भेजा जायेगा, ताकि वे सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं को निःशुल्क वितरित खाद्यान्न की धनराशि उनके बैंक खातों में अन्तरित करा सकें।
7. उपरोक्त निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना के पर्यवेक्षण एवं संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिले में सम्बन्धित जिलाधिकारी का एवं प्रदेश में खाद्यायुक्त का होगा।
8. मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक तथा नगर निकायों में पंजीकृत शहरी क्षेत्र के ऐसे दिहाड़ी मजदूर, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, पात्रता के अनुसार उनका राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग के आदेश संख्या–1621/आ0पू0रा0–राशनकार्ड/2011, दिनांक 19–3–2020 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। सामान्यतः नया राशन कार्ड बनने पर 02 माह बाद से राशन प्राप्त होता है, परन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न उक्त माह में उपलब्ध होने की स्थिति में नये राशन कार्ड धारकों को भी अनुमन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/ग्राम्य विकास/श्रम विभाग उ0प्र0, शासन।
3. आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. आयुक्त, नगर विकास/ग्राम्य विकास/श्रम विभाग उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
7. समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त खाद्य, उ0प्र0।
9. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

23/03/2020

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश वर्मा)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner

सं0 – 196 / एक – 11 – 2020

उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग–3
संख्या–446(2) / 36–3–2020–30(सा0) / 2020,
लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2020

1– **अपर मुख्य सचिव,**
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2– **अपर मुख्य सचिव,**
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

कृपया वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के पत्र संख्या–बी–2–67 / दस–2020–एम–01 / 2020, दिनांक 21 मार्च, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोविड–19 के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों आदि के भरण–पोषण के लिए सहायता हेतु मा0 वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के बिन्दु संख्या–4 के सम्बन्ध में श्रम अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–09 / 2020 / 446 / 36–3–2020–30(सा0) / 2020, दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा ऐसी दुकानों / वाणिज्यिक अधिष्ठानों / कारखानों, जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थायी रूप से बन्द हैं, के कर्मचारियों / कर्मकारों को ऐसी अस्थायी बन्दी के लिए नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये जा चुके हैं, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

संलग्नक–यथोक्त।

(सत्यवान सिंह)
अनु सचिव।

संख्या 1720 ए.सी.एस.आर./2020

संख्या .... ए.सी.एस.आर./2020

23/3/2020

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं बेसिक शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन।

23/3/20

उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग-3
संख्या- 09 /2020/ 446 /36-03-2020- 30(सा०)/2020
लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 2020

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य, कोविड-19 रोग के फैलाव से संकटग्रस्त है, जो कि खतरनाक महामारी है और सम्प्रति प्रवृत्त विधि के सामान्य उपबन्ध इस प्रयोजन हेतु अपर्याप्त हैं;

अतएव अब महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 के अधीन दी गयी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित विनियमावली विहित करती हैं : -

1- कोविड-19 से ग्रसित कर्मचारियों/कर्मकारों, जो कोविड-19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और पृथककरण में रखे गये हों, को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जायेगा। ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के पश्चात् अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान/प्रस्तुत करेंगे।

2- ऐसी दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थायी रूप से बन्द हैं, के कर्मचारियों/कर्मकारों को ऐसी अस्थायी बन्दी अवधि के लिये उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा।

3- ऐसी समस्त दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जहाँ दस या उससे अधिक कर्मकार नियोजित/योजित हों, को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर, को कोविड-19 की रोकथाम के लिये केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।

4. यह आदेश इस अधिसूचना को जारी किये जाने के तत्काल पश्चात् प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:- 09 / 2020 / 446 (1) / 36-03-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अंग्रजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 20 मार्च, 2020 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4(खण्ड ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रतियॉ श्रम अनुभाग-3 बापू भवन उ०प्र० सचिवालय लखनऊ एवं 150 प्रतियॉ श्रम आयुक्त उ०प्र० कानपुर पेटी संख्या-220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री जी उ०प्र० शासन।

3- मुख्य सचिव उ०प्र० शासन।

4- अवस्थापना एवं औघोगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।

5- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त उ०प्र०)

6- समस्त जिलाधिकारी उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त उ०प्र०)

7- श्रम आयुक्त उ०प्र० कानपुर।

8- निदेशक कारखाना उ०प्र०कानपुर।

9- निजी सचिव, मा० मंत्री श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ०प्र० शासन।

10-सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गोमती नगर लखनऊ।

11-समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त उ०प्र०)

12-समस्त उप/सहायक निदेशक कारखाना उ०प्र०। (द्वारा निदेशक कारखाना उ०प्र०)

13-उघोग बंधु 12- सी माल एवेन्यू लखनऊ।

आज्ञा से,

(अजीज अहमद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
SHRAM ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 09 /2020/446/xxxvi-03-2020-30(sa)/2020 Dated 20 March, 2020

NOTIFICATION

No.09 /2020/446 /xxxvi- 03-2020-30(sa)/2020

Lucknow, Dated 20 March, 2020

WHEREAS the State Government is satisfied that the state is threatened with an outbreak of Covid-19 disease which is dangerous epidemic disease and the ordinary provisios of law for the time being in force are insufficient for the purpose,

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers given under section-2 of the Epidemic Disease Act-1897 (Act no.3 of 1897) the Governor is pleased to prescribe the following regulations-

1- The employees/workmen affected by Covid-19 or who are suspected to be affected by Covid-19 and kept in isolation will be provided paid leave of 28 days by their employers. Such leave shall be permissible only when such workman or employees provide/submit a medical certificate in this regard to their employer or authorised person at the time of joining duties after fitness.
2- Employee/Workmen of the shops/commercial establishment/factories which closed temporally by the orders of the State Government or District Magistrate shall be provided holiday with wages by their employer for the period of such temporary closure.
3- All shop/Commercial establishment/factories where ten or more workmen are employed shall display on notice board and main gate of the establishment safety measures prescribed by the Central Government or the State Government for prevention of Covid- 19.
4- This order shall come into force immediately after issuance of this notification.

By Order,

(Suresh Chandra)
Principal Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।